ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान

(एक मूल्यांकन)

डॉ0 मनीश कुमार श्रीवास्तव

एस.आर.एस.महाविद्यालय,नरैनी(बाँदा)

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बालकों की तुलना में बालिकाओं की कम संख्या की समस्या दूर करने के लिए हरियाणा के पानीपत से देशव्यापी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की ' ाुरूआत की। श्री नरेन्द्र मोदी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग पढ़ी–लिखी बहू लाना चाहते है, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने से पहले कई बार सोचते है इसलिए लोगों को इस दोहरी मानसिकता को भी छोड़ना होगा, मोदी न इस योजना का उद्देश्य सम्बन्धित कानून को कड़ाई से लागू करके इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया ताकि लोग बालक/बालिकाओं में भेदभाव न कर सकें।

उद्देश्य–:

अनुसंधान की दृष्टि से 'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ' अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –:

- लिंग भेद से पूर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना।
- बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के लिए उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की पो" ाण स्थिति में सुधार
- बालिकाओं के लिए संरक्षित माहौल को प्रात्साहन देना।

कार्यक्षेत्र–:

प्रस्तुत शोध में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत् फिलहाल कम लिंगानुपात वाले देश के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और महारा" ट्र के 100 जिलों को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के लिए चयनित किया है, इन जिलों में कानूनी सख्ती, समाजिक जागरूकता आदि के जरिए कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास किया जाएगा इस दौरान अगर यह योजना सफल रही तो आगे इसका और विस्तार किया जाएगा।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना–:

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की भी घो" ाणा की गई है यह बालिका के लिए एक लघु बचत योजना है जिसमें 9.1फीसदी की दर से ब्याज की व्यवस्था के साथ यह योजना आयकर से मुक्त है (2015–16 के लिए 9.2 प्रतिशत वा" ाक की व्याज दर घो" ात की गई) बालिका के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय रू 1000 की न्यूनतम राशि से यह खाता किसी डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों की किसी भी शाखा में खोला जा सकता है जिसमें वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम रू. 1.5 लाख की राशि जमा कराई जा सकती है यह खाता बालिका के 21 वर्ष पूर्ण कर लेने या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उसे उच्चशिक्षा हेतु इस खाते में जमा राशि की 50प्रतिशत राशि अंशिक तौर पर आहरित करने की भी अनुमति है इस योजना के पीछे की मंशा मुख्य रूप से परिवार के संसाधनों और बचतों में बालक की भाँति बालिका के लिए भी

www.ijahms.com

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

साम्यपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि परिवार में बालक–बालिका के बीच का भेदभाव समाप्त हो। प्रधानमंत्री ने बालिका के जन्म के समय 5 पेड़ लगाने का भी आहवान किया और इन्हें बालिका के विवाह के समय काटने की सलाह दी ताकि इससे बालिका के विवाह के समय होने वाले खर्चे की कुछ हद तक पूर्ति हो सके इस प्रकार 'बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ' योजना का उद्देश्य जहॉ देश में भ्रूण हत्या को खत्म करना है, तो वही सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत् बेटियों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है,

2011 की 15वीं जनगणना में घटता लिंगानुपात–:

प्रस्तुत ' शोध में यह तथ्य दृष्टिगत हुआ है कि अन्य बातों के साथ–साथ जो एक विचारणीय और गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया था, वह 0–6 आयु वर्ग के बीच लिंगानुपात में तेजी से आई गिरावट से सम्बन्धित था 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16 प्रतिशत बच्चे 0–6 आयु वर्ग में थे, लेकिन 2011 में इनकी संख्या घटकर 13 प्रतिशत हो गई, इसलिए आजादी के बाद से अब तक लिंगानुपात सबसे निचले स्तर पर पहुॅचना न केवल देश के लिए चिन्ता का वि" ाय है बल्कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की भी बात है, 2001 की जनगणना में जहॉ यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों के पीछे 927 लड़कियॉ थीं, वही 2011 में घटकर यह प्रति हजार 914 हो गया यही नहीं हरियाणा के झज्जर जिले में सर्वाधिक कम लिंगानुपात यानी 1000 लड़कों के पीछे 774 देखा गया, हरियाणा राज्य में इस असमान लिंगानुपात की वजह से वहॉ के लोगों को अपने लड़कों हेतु पत्नी की खोज में पश्चिम बंगाल, असम और केरल के सुदूर इलाकों में भटकना पड़ रहा है इस प्रकार यह असमान लिंगानुपात परिवार के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन रहा है।

पंजाब तथा हरियाणा राज्य बालिका के प्रति बरते जा रहे भेदभाव के लिए कुख्यात हैं, परन्तु 15वीं जनगणना से यह तथ्य भो प्रकट हुआ कि अब मध्य प्रदेश, महारा" ट्र,राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ओडिशा तथा जम्मू–कश्मीर भी वक्त दो राज्यों की राह में चलने को अग्रसर है समग्र तौर पर देश के 27 राज्यों में लिंगानुपात गिरा है जबकि 6राज्यों में सुधार दिखाई दिया है सबसे बेहतर लिगानुपात मिजोरम (1000:971) और मेघालय (100:970) में देखा गया उत्तरी राज्यों में हिमालय प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में 900 से ऊपर का बाल लिंगानुपात नहीं देखा गया इसलिए देश में घटते लिंगानुपात की इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरूआत करना निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है और इससे असमान लिंगानुपात की तस्वीर बदलेगी।

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए बने कानून और उनका कार्यान्वयन–:

ज्ञातव्य हो कि देश में कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या रोकने के लिए भारतीय दण्ड विधान की धारा 315 और 316 में व्यवस्था है, जहॉ कुछ विशे" ा परिस्थितियॉ में जैसे गर्भवती महिलाओं को जीवन से खतरा होने की स्थिति में गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (यथा–संशोधित 2003) की व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी ओर प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण (दुरूपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994 (यथा–संशोधित 2002) जनवरी,1996 से प्रभावी बनाया गया जिसमें प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को अपराध की श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान भी किया गया, इस प्रकार यह कानून गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकता है और सभी क्लीनिकों, अस्पतालों में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण को कानूनी जुर्म बताकर इसकी मनाही है और इस बावत नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद चोरी–छिपे कन्या भ्रूण हत्या की घटनाऐं देखने को मिलती है इसका एक कारण यह भी है कि कानून की सख्ती के साथ ही तकनीक भी विकसित हो रही है।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीन की जगह अब जेनिसिलेक्टि किट कैमरा, एमआरआई तथा मोबाइल फोन आकार के अल्ट्रासाउंड सिस्टम बाजार में आ गए है इनसे लिंग परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं आती गॉवों में मोबाइल सोनोग्राफी उपलब्ध हैं, जो शिशु हत्या से भ्रूण हत्या की ओर जा रहा है इसलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट में नए सिरे से संशोधन कर उसमें और कड़ी सजा का प्रावधान करना नितान्त आवश्यक है साथ ही प्रत्येक अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों तथा मशीनों का पंजीकरण हो और समय–समय पर अचानक निरीक्षण की व्यवस्था भी हो ऐसा करने पर तीन से पॉच साल तक कारावास व अधिनियम रू 1लाख जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इस कानून के लागू होने के तकरीबन 21 वर्ष बाद आज भी कन्या भ्रूण हत्या बदस्तूर जारी हे इसका एक प्रमुख कारण यह हे कि सरकार ने बदलती परिस्थितियों और लिंग परीक्षण के निए–नए आवि" कारों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप इस कानून में न तो संशोधन किया और न ही इसकी मॉनीटरिंग की समुचित व्यवस्था की इसलिए इस कानून को नए सिरे से परिभाशित करना समय की मॉग है राज्य सरकारों को भी इस दिशा में उपयुक्त कदम उठानें होंगे।

दृ"टकोंण कैसे बचेंगी और पढ़ेगी बेटियॉ?

यह वास्तव में एक गंभीर समस्या है कि पहले भी सरकारें 'बेटा–बेटी–एकसमान' का नारा देती रही है, एक ओर हिमाचल में 'बेटी है अनमोल' जैसी योजना' चल रही है, तो दिल्ली की 'लाडली योजना' मध्य प्रदेश की 'लक्ष्मी लाडली' और 'कन्यादान योजना' गुजरात की 'डिकरी बचाओ' तथा हरियाणा की 'बालिका सुरक्षा योजना' जैसी कई योजनाएं वर्तमान में प्रभावी हैं, लेकिन इन सबके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं की रोकथाम में आशानुरूप प्रगति नही दिखाई दी है और देश के विभिन्न इलाकों में लिंगानुपात में न तो खास सुधार देखने में आया और न ही देश में बेटियों की दशा सुधरी इसलिए कन्या भ्रूण हत्या की इस समस्या से निजात पाने हेतु माजूदा कानूनी प्रावधानों में बदलते परिप्रेक्ष्य में संशोधन करते हुए उनका सख्ती से पालन करने के साथ ही लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता फैलाना जरूरी है। गॉवों में पंचायतीराज संस्थाओं की भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

पूर्व में केन्द्र सरकार न गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नए तरीकों की जॉच और कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक विशे" ाज्ञ समिति बनाने का फैसला किया था हम चाहेंगे कि उस पर ' ाीघ्र अमल हो साथ ही मौजूदा कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्यों को भी लिखा जाए यह भी उल्लेखनीय है कि लिंग समानता तथा नारी सशक्तिकरण एक सिक्के के दो पहलू है यदि नारी सशक्त है, तो वह निश्चित तौर पर अपने विरूद्ध होने वाली हिंसा जिसमें उसके गर्भ में पल रहे लिंग परीक्षण भी ' ाामिल है, का विरोध कर सकती है हमारा यह भी मत है कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला का यदि सच्चे अर्थों में सरकार सर्वतोमुखी विकास करना चाहे, तो उन्हें संसद, विधानसभाओं तथा पंचायतों के अन्तर्गत कम–से कम 33 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था करनी होगी साथ ही संसद में इस बावत लम्बित बिल शीघ्र पारित हो।

इस तथ्य में कोई दोराय नहीं कि बालिका के जन्म लेने के अधिकार की हर कीमत पर रक्षा सुनिश्चित हो कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध न्यायिक प्रणाली को और अधिक संवेदनशील बनाने हेतु सर्वोच्च तथा उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में कार्यशालाओं के आयोजन से भी सहायता मिल सकती है यहॉ एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने सम्बन्धित मंत्रालय में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु एक ऐसे प्रको" ठ की स्थापना करें, तो एक नोडल एजेंसी के रूप में इस दिशा में पहल करें इस प्रको" ठ में विशेष रूप से उन महिलाओं को शामिल किया जाए जिन्होंने

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

विपरीत परिस्थितियों तथा पुरूष मानसिकता का दंश सहने के बावजूद समाज में अपने लिए एक स्थान बनाया रोल मॉडल के रूप में ये महिलाएं मीडिया, समाचार–पत्र तथा पत्रिकाओं के मार्फत समाज के समक्ष आएं और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर विचार गोषिठयों रोड शो, रैलियों, नाटक और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हुए बेटी बचाओ के अभियान पर अपने को फोकस करें, तो इससे बालिका के पक्ष में निःसन्देह एक स्वस्थ माहाल बनाने में सहायता मिलेगी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक विकास के लक्ष्यों के एक नए सैट की घोषणा करने वाला है और उसमें भारत भी हस्ताक्षर करेगा, इसलिए भारत उसमें लिंग समानता की अपनी प्रतिबद्धता को वहॉ भी व्यक्त करे इससे न केवल भारत में बल्कि विश्व समुदाय के प्रति भी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

i. अमर उजाला
ii. दैनिक जागरण
iii. हिन्दुस्तान
iv. दैनिक भास्कर
v. इण्डिया टुडे
vi. प्रतियोगिता दर्पण
vii. क्रानिकल
viii. सामान्य ज्ञान दर्पण
ix. प्रतियोगिता किरण

www.ijahms.com